

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2013/ज्येष्ठ 20, 1935

No. 02]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2013/JYAISTHA 20, 1935

रक्षा मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून 2013

सा.का.नि. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल अधिकरण में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण, समूह 'ग' पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. **लागू होना.**—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेलन.— (1) इन नियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-2, अवर श्रेणी लिपिक-सह-हिन्दी टंकक, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, स्टाफ कार चालक, सवार हरकारा, पुस्तकालय परिचर और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (चपरासी-सह-सहायक) का पद धारण करने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव को पूरा करते हैं और विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है, इस शर्त के अधीन संबंधित श्रेणी में आमेलन के लिए पात्र होंगे कि ऐसे व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे और उनका मूल विभागों का अधिकरण में उनके आमेलित किए जाने के प्रति कोई आक्षेप नहीं है ।

2576 GI/2013 (1)

- (2) उप-नियम (1) में वर्णित अधिकारियों की ज्येष्ठता मूल विभाग में उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी ।
- (3) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।
- 6. सेवा की शर्तें : भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, चिकित्सीय सुविधाओं और सेवा की अन्य शर्तों के विषय में अधिकरण के उक्त पदों की सेवा-शर्तें ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो तत्समान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान के केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" पदों के अधिकारियों को तत्समय लागू होते हैं।
- 7. **सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया** : उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (क) अधिकरण, अखिल भारतीय आधार पर, विज्ञापन के माध्यम से उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
 - (ख) प्राप्त किए गए आवेदनों पर अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएगी:
 - (ग) यदि प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या ज्यादा है, तब चयन समिति प्रारंभिक लिखित परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी;
 - (घ) भर्ती निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की जाएगी :—
 - (i) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य -- अध्यक्ष
 - (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए गए प्रशासनिक सदस्य -- सदस्य
 - (iii) अधिकरण का प्रधान रजिस्ट्रार

- -- सदस्य
- 8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया : उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा; अर्थात :—
 - (क) अधिकरण, अखिल भारतीय आधार पर, विज्ञापन के माध्यम से उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
 - (ख) उक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए जांच की जाएगी;
 - (ग) नियम 7 के खंड (घ) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार ।
- 9. निरर्हता : वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 10. शिथिल करने की शक्ति : जहां अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 11. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

| • | ` |
|------|---|
| अनसच | T |

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद |
|---------------------------|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.उच्च श्रेणी लिपिक | 45* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200-20,200 रू. + ग्रेड वेतन 2400/-रू. | चयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|
| 6 नगा नहीं होता | 7 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|-------------------------------|--|
| 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर |
| | - | प्रतिनियक्ति/आमेलन द्वारा |

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । 11

प्रोन्नति:

ऐसा अवर श्रेणी लिपिक या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक जिन्होंने वेतन बैंड 1, 5200—20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड

वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकाय या न्यायालयों के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जो वेतन बैंड 1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे पदधारी जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति/आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण - 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

| \sim \sim | ` ` | \sim | • | • | 0 | |
|----------------|----------|----------|----|----|---------|-----------|
| यदि विभागीय | पान्तात | सामात | ਵ | ता | उसका | सरत्ता |
| 414 14 11 11 4 | 200 1000 | ******** | c, | | 0 (1971 | ********* |

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी —

लागू नहीं होता

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रिजस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रिजस्ट्रार-- सदस्य

12

- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|---|--|--|----------------|
| 2. आशुलिपिक श्रेणी-॥ | 45* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/-रु. | लागू नहीं होता |

.... 18-27 वर्ष

^{ार्ष} **आवश्यक** :

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिशिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समत्त्व्य ;

7

(2) कौशल परीक्षण मानदंड : कम्प्यूटर पर

श्रुतलेख: 10 मिनट में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति

अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी); 65 मिनट (हिन्दी) ।

(3) कम से कम छह मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

टिप्पण : अनुभव संबधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|---|
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या भूतपूर्व |
| | | सैनिको का पुनःनियोजन द्वारा |

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों के ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं और जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

1

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्निलिखत से मिलकर बनेगी —

12

लागू नहीं होता

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार -- सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|-----|
| 3. अवर श्रेणी लिपिक- सह-हिन्दी टंकक | 58* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900/-रु. | चयन |

18-27 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिशिल की जा सकती है।

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;
- (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रैशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 और 30 शब्द प्रति मिनट)।

(अनुज्ञात समय - 10 मिनट)

(iii) कम से कम छह मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|---|---|
| आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (क) (i) खुले विज्ञापन के माध्यम से 85% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा । |
| | | (ii) 10% रिक्तियां ग्रेड वेतन 1800/- रुपए में समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। |
| | | (iii) 5% रिक्तियां समूह "ग" कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए के साथ उन पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है। |
| | | टिप्पण 1 : पहले तीन वर्षों के लिए क(ii) के अधीन रिक्तियां उपरोक्त क के अनुसार भरी जाएंगी । |
| | | टिप्पण 2 : संबंधित वर्ष की उपरोक्त खंड (iii) के अधीन न भरी गई रिक्तियां आगे अग्रेषित नहीं की जाएगी। |

11

प्रतिनियुक्ति :

ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं और जों केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

11

भूतपर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

| 12 | | 13 |
|---|--------------------|----------------|
| विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार क | रने के लिए) – | लागू नहीं होता |
| . • | • | C, |
| (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान | पीठ) अध्यक्ष | |
| (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान | न पीट) या अध्यक्ष, | |
| सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी | ो प्रादेशिक पीठ का | |
| रजिस्ट्रार | सदस्य | |
| (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय | सदस्य | |
| (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से | अनुसूचित जातियों | |

-- सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|--|---|--|----------------|
| 4. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक | 60* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200- 20,200 रू. + ग्रेड वेतन 1900/-रू. | लागू नहीं होता |

18-27 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) 7

आवश्यक :

- (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ;
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर क्षेत्र में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र; और
- (ग) आंकड़ा प्रविष्ट या कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान । (आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रैशन से कम की गति नहीं होनी चाहिए)

वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

टिप्पण: आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रैशन की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (इडीपी) पर गति परीक्षण किया जाएगा।

टिप्पण - अनुभव संबधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने |
| . | के लिए दो वर्ष | पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या भूतपूर्व |
| | | सैनिको का पुनःनियोजन द्वारा |

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों से ऐसे अधिकारी :-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जो वेतन बैंड 1, 5200—20,200 रू० + ग्रेड वेतन 1900 रू० में पद धारण किए हुए हैं साथ ही उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

संशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लागू नहीं होता

लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय
- -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 5.स्टाफ | 31* | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन बैंड -1 | लागू नहीं होता |
| कार | (2013) | समूह 'ग' | 5200-20,200 | |
| चालक | *कार्यभार के आधार पर | अराजपत्रित, | रू. + ग्रेड वेतन | |
| | परिवर्तन किया जा सकता | अनन्सचिवीय | 1900/-ক্ত. | |
| | है । | 5 3 | | |

7 18-27 वर्ष आवश्यक :

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है।)

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण;
- (ii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव;

13

- (iii) मोटर कार चलाने का विधिमान्य अनुज्ञप्ति;
- (iv) मोटर के कल पुरजे का ज्ञान (यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए) वांछनीय : होम गार्ड या स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|--|
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या भूतपूर्व सैनिको का पुनःनियोजन द्वारा |

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : निम्नलिखित व्यक्तियों में से स्टाफ कार चालकों में आवश्यक समझे गए सक्षमता के मानकों के प्रतिनिर्देश से पद के लिए उपयुक्त न्यायनिर्णित करने के लिए अभिकल्पित चालन परीक्षा के परिणामों के आधार पर, जो -

- (क) ऐसे व्यक्ति जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में स्टाफ कार चालक के पद पर नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं; या
- (ख) वेतन बैंड 1, 5200—20,200 रू. + ग्रेड वेतन 1900 रू. में नियमित सवार हरकारा (समूह "गैं) जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं; और जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो;
- (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों जहां अधिकरण से संबंधित न्यायपीठ स्थित हैं में वेतन बैंड 1, 5200—20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित तीन वर्ष सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतिरत किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से

अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी -

12

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार — सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय

- -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी — सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|--|----------------|
| 6. सवार हरकारा | 9* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200-20,200 रू. + ग्रेड वेतन 1900/-रू. | लागू नहीं होता |

6

18-27 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10वीं स्तर उत्तीर्ण सहित अंग्रेजी और हिन्दी या जहां अधिकरण स्थित है उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा को पढ़ने की योग्यता:

7

लागू नहीं होता

- (ii) मोटर साईकल या स्कूटर या आटो रिक्शा चलाने का विधिमान्य अनुज्ञप्ति और ऐसे यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;
- (iii) मोटर साईकल या स्कूटर या आटो रिक्शा के कल पुरजे का ज्ञान और ऐसे यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य हो ।

टिप्पण - अनुभव संबधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने |
| | के लिए दो वर्ष | पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या |
| | | भूतपूर्व सैनिको का पुनःनियोजन द्वारा |

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : (i) मोटर साईकल या स्कूटर चालकों में आवश्यक समझे गए सक्षमता के मानकों के प्रतिनिर्देश से पद के लिए उपयुक्ता न्यायनिर्णित करने के लिए अभिकल्पित चालन परीक्षा के परिणामों के आधार पर, वेतन बैंड 1, 5200—20,200 रू० + ग्रेड वेतन 1900 रू० में केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बल या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में यान चलाने का तीन वष का अनुभव रखने वाले नियमित समूह "ग" कर्मचारियों में से, और जिनके पास स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हताएं हैं; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बलों या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में ऐसे व्यक्ति जो सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतिरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आवेदन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

 12
 13

 समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लागू नहीं होता

 लिए)

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रिजस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रिजस्ट्रार — सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी — सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|--|----------------|
| 7.पुस्तकालय परिचर | 18* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200-20,200 रू. + ग्रेड वेतन 1800/-रू. | लागू नहीं होता |

6 7

18-27 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य और
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त या पंजीकृत पुस्तकालय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण - अनुभव संबधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|---|
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सैनिको का पुनःनियोजन द्वारा |

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा : वेतन बैंड 1, 5200— 20,200 रू. + ग्रेड वेतन 1800 रू. में समूह "ग" कर्मचारिवृंद्ध में से, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बल या राज्य सरकार या अधिकरण या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों या सशस्त्र बल अधिकरण में एक वर्ष नियमित सेवा और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव हैं; तथा उस हैसियत में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतिरत किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

12 13

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) -

लागू नहीं होता ।

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार -- सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---------------------------|
| 8. बहु कार्य कर्मचारिवृंद्ध (चपरासी- सह-हेल्पर) | 46* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ, अननुसचिवीय | वेतन बैंड -1 5200-20,200 रू० + ग्रेड वेतन 1800/-रू० | ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ |

6

18-27 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य

वांछनीय - होम गार्ड और स्वयं सेवक के रूप में "बुनियार्दी और "पुनश्चर्या" में प्रशिक्षण ।

टिप्पण - अनुभव संबधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|--|
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (i) 75% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनःनियोजन (भूतपूर्व सैनिको के लिए) द्वारा । (ii) 25% प्रतिनियुक्ति/आमेलन या |
| | | पुनःनियोजन (भूतपूर्व सैनिको के लिए) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । |

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में: ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में सदृश पद धारण किए हुए है जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्तर्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

| 12 | 13 |
|---|------------------|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी — | लागू नहीं होता । |
| (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) अध्यक्ष (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार सदस्य | |
| (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय सदस्य (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी सदस्य | |

[फा.सं. पीसी-2 से एम.एफ. 4(01)/2010-डी(एएफटीसी)] समीर कुमार खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2013

- **S.R.O.** 2(**E**):— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Tribunal, Group'C' posts(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **5. Absorption of employees appointed on deputation.** —(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons holding the posts of Upper Division Clerk, Stenographer Grade II, Lower Division Clerk cum Hindi Typist, Data Entry Operator, Staff Car Driver, Despatch Rider, Library Attendant and Multi Tasking Staff (Peon-cum-helper) on the date of commencement of these rules on deputation basis and who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee, shall be eligible for absorption in the respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption, and that their parent Departments do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.
 - (2) The seniority of the officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the dates of their regular appointment to the posts held by them in the parent Department.
 - (3) The suitability of persons for absorption may be considered by a Departmental Promotion Committee.
- **6. Conditions of service.**—The conditions of service of the said posts of the Tribunal in matter of allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules as are for the time being applicable to officers belonging to Group C posts of the Central Government of the corresponding pay band and grade pay or pay scale.
- **7. Procedure for direct recruitment** .— The following procedure shall be followed for making direct recruitment to the posts specified in the said Schedule namely:-
 - (a) the Tribunal shall invite applications for the said posts through an advertisement on all India basis;
 - (b) the applications received shall be screened for eligibility by a Screening Committee constituted by the Chairperson of the Tribunal;
 - (c) if the number of applications received is large, then the Selection Committee may recommend a preliminary writtern examination;
 - (d) the recruitment shall be done in interview by a Selection Committee comprising of:-
 - (i) Chairperson or Judicial Member nominated by the Chairperson of the Tribunal -Chairman;
 - (ii) Administrative Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal Member;
 - (iii) Principal Registrar of the Tribunal
- Member.
- **8. Procedure for appointment on deputation .** The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to the said posts, namely:—
 - (a) the Tribunal shall invite applications for the said posts through an advertisement on all India basis;
 - (b) the applications received thereof shall be screened for eligibility by a Screening Committee constituted by the Chairperson;

- (c) interview conducted by the Selection Committee referred to in clause (d) of rule 7.
- 9. **Disqualifications**.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **10. Power to relax.** Where the Chairperson, Armed Forces Tribunal is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 11. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classificatio n | Pay band and grade pay or pay scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods |
|--------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. Upper Division Clerk. | 45* (2013) Subject to variation dependent on workload | General Central Service. Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial | Pay band-1, Rs. 5200- 20200 plus grade pay of Rs.2400 | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion, failing which by deputation/ absorption |

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption, to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|--|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Promotion: Lower Division Clerks or Data Entry Operators in the pay band-1; Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade. Note: 1:- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)-Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member | Not applicable. |

Note: 2:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation/ Absorption: Officers from Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts:

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) holding the post in the $\,$ pay band-1, Rs.5200-20200 plus $\,$ grade pay of Rs.1900 with eight years regular service.
- **Note:** 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note:** 2:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
- **Note:** 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.
- **Note**: 4:- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

- (iii) Under Secretary, Ministry of Defence Member
- (iv) Scheduled Castes or Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office –Member

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------------------------------|--|--|--|------------------|--|---|
| 2. Stenograp her Grade II | 45* (2013) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial | Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 | Not applicable . | 18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential: (1) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (2) Skill Test Norms: On computer. Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English); 65 minutes (Hindi). (3) Computer training course of at least six months duration. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| Not applicable. | Two years for direct recruits. | Direct Recruitment failing which by deputation/ absorption or reemployment of ex-servicemen. | Deputation/ absorption: Officers possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in column (7) and holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts. Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):— (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)— Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal — Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence — Member (iv) Scheduled Castes or Scheduled Tribes officer from another Government Department/Office — Member | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-------------------------|------------|-------------|--------|--------|---|------------------------------------|---------------|-----------|
| Lower | 58* | General | Pay | Select | 18-27 years. | Essential: | Age: No | Two |
| Division | (2013) | Central | band- | ion | (Relaxable for Government servants | (i) 12 th Class pass or | | years for |
| Clerk- | Subject to | Service, | 1, | | upto the age of forty years in the case | equivalent qualification | Educational | direct |
| cum- | variation | Group 'C', | Rs. | | of general candidates and upto forty- | from a recognised Board | Qualification | recruits. |
| Hindi | dependent | Non- | 5200- | | five years in the case of candidates | or University; | Yes. | |
| Typist | on | Gazetted, | 20200 | | belonging to the Scheduled Castes or | (ii) A typing speed of 35 | | |
| | workload | Ministerial | plus | | the Scheduled Tribes, and also | words per minute in | | |
| | | | grade | | relaxable in case of Ex-servicemen in | English or 30 words per | | |
| | | | pay of | | accordance with the instructions or | minute in Hindi on | | |
| | | | Rs. | | orders issued by the Central | computer (35 words per | | |
| | | | 1900 | | Government from time to time). | minute and 30 words per | | |
| | | | | | Note: The crucial date for determining | minute correspond to | | |
| | | | | | the age limit shall be the closing date | 10500 Key Depression | | |
| | | | | | for receipt of applications from | Per Hour/9000 Key | | |
| | | | | | candidates in India (and not the | Depression Per Hour on | | |
| | | | | | closing date prescribed for those in | an average of 05 key | | |
| | | | | | Assam, Meghalaya, Arunachal | depressions for each | | |
| | | | | | Pradesh, Mizoram, Manipur, | word). (Time allowed-10 | | |
| | | | | | Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh | minutes) | | |
| | | | | | Division and Pangi Sub Division of | (iii) Computer training | | |
| | | | | | Chamba district of Himachal Pradesh, | course of at least six | | |

| | Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | months duration. Desirable: Graduate from a recognised university. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |
|--|--|---|
|--|--|---|

A. (i) 85% by direct recruitment through open advertisement failing which by deputation /absorption.

(ii) 10 % of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination.

(10)

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs.1800.

Note: 1: For the first three years the vacancies under A (ii) shall be filled as per A above.

Note 2: Unfilled vacancies under clauses (iii) above pertaining to a particular year shall not be carried over.

Deputation: Officers possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in column (7) and holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts.

(11)

For Ex-servicemen: Deputation/re-employment— The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):—

(12)

(i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)-Chairman

(ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of

(iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member

(iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office –Member Not applicable

(13)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------|--|---|--------------------|--|
| 4. Data Entry Operator. | 60* (2013) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service. Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial. | Pay band-1; Rs. 5200- 20200 plus grade pay of Rs. 1900. | Not applicable | 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in | equivalent qualification from a recognised institution or board or equivalent; and (b) Diploma or Certificate in | Not applicable. | Two years for direct recruits. |

| | instructions or orders issuby the Central Governm from time to time). Note: The crucial date determining the age ling shall be the closing date receipt of applications from the closing date prescribed those in Assam, Meghala Arunachal Pradesh, Mizora Manipur, Nagaland, Tripu Sikkim, Laddakh Divisiand Pangi Sub Division Chamba district of Himac | he (c) Knowledge of data entry or computer operation (should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for data entry work). Desirable: Graduate from a recognised university. Note: The speed of method works is to be judged by conducting a speed test |
|--|---|---|
| (10) Direct Recruitment, failing which by deputation/ absorption or re-employment (For Ex- servicemen). | Deputation/Absorption: Officers from the Central Government or St Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts holding analogous post on regular basis or (ii) holding post(s) in the pay band Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900, with two years regular service in grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in colur (7). For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces person due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year a having the requisite experience and qualifications prescribed shall also considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may continued on re-employment. Note: 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-car post, held immediately preceding this appointment in the same or some of organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorptishall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the serv rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January,2006 or the date for which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commiss recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission, except where there has been merger of more than one prevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, a where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | (i) Promotion Committee (for considering confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)- Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office - Member on of |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|--------------------------|----------------------|--|------------------------------|------------|--|---|-----------------|---------------|
| 5. | 31* | General | Pay band-1, | Not | 18-27 years. | Essential:(i) 10 th | Not | Two |
| Staff | (2013) | Central | Rs.5200-20200 | appli- | (Relaxable for | standard pass from a | applicable | years |
| Car Driver | Subject to variation | Service, Group 'C', Non- | plus grade pay of Rs.1900 | cable | Government servants upto the age of forty | recognised Board; (ii) Experience of driving | | for direct |
| Diivei | dependent | Gazetted, Non- | 01 Ks.1700 | | years in the case of | a motorcar for at least | | recruits |
| | on workload | Ministerial | | | general candidates and | three years, (iii) | | |
| | | | | | upto forty-five years in | Possessing a valid | | |
| | | | | | the case of candidates belonging to the | driving licence for motorcars; | | |
| | | | | | Scheduled Castes or the | (iv) Knowledge of | | |
| | | | | | Scheduled Tribes, and | motor mechanism | | |
| | | | | | also relaxable in case of Ex-servicemen in | (should be able to | | |
| | | | | | accordance with the | remove minor-defects in vehicle). | | |
| | | | | | instructions or orders | Desirable: Three years | | |
| | | | | | issued by the Central | service as Home | | |
| | | | | | Government from time to time). | Guard or Civil Volunteers. | | |
| | | | | | to time). | Note: The | | |
| | | | | | Note: The crucial date | qualification regarding | | |
| | | | | | for determining the age | experience is relaxable | | |
| | | | | | limit shall be the closing date for receipt of | at the discretion of the Chairperson, Armed | | |
| | | | | | applications from | Forces Tribunal, in the | | |
| | | | | | candidates in India (and | case of candidates | | |
| | | | | | not the closing date | belonging to the Scheduled Castes or | | |
| | | | | | prescribed for those in Assam, Meghalaya, | the Scheduled Tribes, | | |
| | | | | | Arunachal Pradesh, | if at any stage of | | |
| | | | | | Mizoram, Manipur, | selection the | | |
| | | | | | Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh | Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of | | |
| | | | | | Division and Pangi Sub | the opinion that | | |
| | | | | | division of Chamba | sufficient number of | | |
| | | | | | district of Himachal Pradesh, Andaman and | candidates with requisite experience | | |
| | | | | | Nicobar Islands or | are not likely to be | | |
| | | | | | Lakshadweep). | available to fill up the | | |
| | | | | | | vacancy reserved for them. | | |
| (10) | | (1 | 1) | | | (12) | | (13) |
| D 1 | | | | | 6 (6) 5 | D | | |
| Direct recruitme | | on/Absorption: O lesigned to adjudge | | | Group-'C' Departmental confirmation):- | Promotion Committee (| for considering | Not appli- |
| failing wh | . , u | e to the standards | | | (i) Principal Registrar, Ari | med Forces Tribunal (Princ | cipal Bench) | cable |
| by | essential | in drivers of staff ca | | onoradida | —Chairman | | | |
| deputation absorption | | ns holding analogo | us posts of staff c | ar drivers | (ii) Joint Registrar, Arn Registrar of any Region | | | |
| or | re- In Ministr | ies or Departments | | | Chairperson Armed Force | | imated by the | |
| employme | | Governments or T | | | (iii) Under Secretary, Mir | | | |
| (For serviceme | | Bodies or Court | | | (iv) The Scheduled Cas another Government Depa | | | |
| Servicenie | | ng qualifications po ar Despatch Riders | | | another Government Depa | itilient of Office –Weiliber | ı | |
| | | 200-20200 with g | | | | | | |
| | | qualification presi | | | | | | |
| | | ng a valid Driving | | | | | | |
| | | ar Group 'C' empl | | | | | | |
| | | 20200 plus grade | | | | | | |
| | | perience of the Ce ent or Tribunals o | | | | | | |
| | | courts located who | | | | | | |
| | | nal is functioning a | | | | | | |
| | prescribe | d in column (7). | | | | | | |
| | | servicemen: Deput | | | | | | |
| | | orces personnel du | | | | | | |
| | | ed to reserve within | | | | | | |
| | | he requisite expo d shall also be | | | | | | |
| | | be given deputation | | | | | | |
| | | ey are due for relea | | | | | | |
| | and the | reafter they may | | | | | | |
| | employm | ent. | | | | | | <u></u> |
| | | | | | | | | |

| | deputation i preceding the organisation shall ordinar Note: 2. The deputation years as applications Note: 3. deputation regular basis the date from the Sixth Chas been extended in extended in extended in extended the Commission more than on with a commission benefit will grade pay o | n another ex-capis appointment or department or department or department or absorption on the closin. For the properties of the correspondated on the pre-revised on grade pay extend only for the correspondent of the pre-revised on grade pay extend only for the pre-revised on grade pay extend only for the pre-revised on grade pay extend only for the pre-revised only for t | adre post, held immet in the same or sont of the Central Goved three years. age limit for appoints shall be not exceet group and the service renders prior to 1st January, vised pay structure be deemed to be ding grade pay or pay recommendations at there has been me scale of pay into on or pay scale, and where normal replaceme | ment by ding 56 ceipt of ment on ad on a 2006 or assed on adations service ay scale of the erger of the grade mere this ich that nt grade | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|--|--|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 6. Despatch Rider. | 9 (2013) (Subject to variation dependent on workload) | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial | Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs 1900 | Not appli- cable | 18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) | Essential: (i) 10 th standard pass from any recognised Board or equivalent with ability to read English and Hindi or Regional Language of the area in which the Tribunal is situated; (ii) Possessing a valid driving licence for motor cycle or Scooter or auto-rickshaw and experience of driving such vehicle for at least three years. (iii) Having knowledge of mechanism of motor cycle or Scooter or auto-rickshaw and should be able to remove minor-defects in such vehicle. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the the Scheduled Tribes, if at any stages of selection he is of the opinion that the sufficient numbers of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them | Not appli- cable |
| Two years for direct recruit | Direct recruitment, failing which by deputation or absorption or reemploy- | of a test in of suitability for standards of essential in scooters, from 'C' employee 20200 with a three years | Absorption: (i) On the driving, designed to the post with reference of competence continuous the regular in the pay band-1 It grade pay of Rs.186 experience of drivence of drivence of drivence of drivence of drivence of Armed F. | adjudge ce to the nsidered ycles or ar Group Rs.5200- 00, with ving in | Group-'C' Departmental Promotion confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces (Principal Bench) (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal Group Armed Forces Tribunal (iii) Under Secretary, Ministry of De (iv) The Scheduled Castes or the S another Government Department or C | Tribunal —Chairman ribunal (Principal Bench) or e nominated by the - Member fence - Member cheduled Tribes officer from | Not applicable. |

ment (For State Governments or Tribunals or Commissions or statutory bodies or courts Exserviceand possessing the qualification mentioned in column (7); or (ii) Persons possessing men). the qualifications prescribed in column (7) and holding analogous posts in the Central Government or Armed Forces or State Government or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts. For Ex-servicemen: Deputation/reemployment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note: 3.** For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-------------------------|--|---|--|----------------|--|---|----------------|
| 7. Library Attendant | 18* (2013) Subject to variation dependent on work load | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial | Pay band- 1 Rs.5200- 20200 plus grade pay of Rs.1800 | Not applicable | 18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date | Essential: (i) 10 th standard pass or equivalent of any recognised Board; and (ii) Experience of working | Not applicable |

any upgradation.

| for receipt of |
|----------------------|
| applications from |
| candidates in India |
| (and not the closing |
| date prescribed for |
| those in Assam, |
| Meghalaya, |
| Arunachal Pradesh, |
| Mizoram, Manipur, |
| Nagaland, Tripura, |
| Sikkim, Laddakh |
| Division and Pangi |
| Sub-Division of |
| Chamba district of |
| Himachal Pradesh, |
| Andaman and |
| Nicobar Islands or |
| Lakshadweep). |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-------------------------------|--|---|--|----------------|
| Two years for direct recruits | Direct recruitment, failing which by deputation or absorption or reemployment (For Exservicemen) | By deputation/absorption from amongst the Group 'C' staff in the pay band-I Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800, with one year regular service in the grade in the Central Government, Armed Forces, State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts or Armed Forces Tribunal and who possess the qualifications and experience prescribed in column (7) and have rendered three years regular service in the capacity. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note: 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) - Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office - Member | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|--|--|---|-----------------|--|--|-----------------|--------------------------------|
| 8. Multi Tasking Staff (Peon- cum- helper). | 46* (2013) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted; Non- Ministerial. | Pay band-1; Rs 5200- 20200 plus grade pay of Rs.1800. | Not applicable. | 18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential: 10th Standard pass or equivalent from any recognised Board. Desirable: Training in 'Basic' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stages of selection he is of the opinion that the sufficient numbers of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable. | Two years for direct recruits. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------|
| (i) 75% by direct recruitment | In case of deputation/absorbtion: Persons holding analogous posts in | Group-'C' Departmental | Not |
| failing which by deputation/ | Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions | Promotion Committee (for | appli- |
| absorption or reemployment | or Statutory Bodies or Courts possessing qualifications specified in | considering confirmation) | cable |
| (For Ex-servicemen). | column (7). | consisting of:- | |
| | For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces | (i) Principal Registrar, Armed | |
| (ii) 25% by | personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a | Forces Tribunal (Principal | |
| deputation/absorption or re- | period of one year and having the requisite experience and qualifications | Bench)- Chairman | |
| employment (For Ex- | prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given | (ii) Joint Registrar, Armed | |
| servicemen), failing which by | deputation terms up to the date on which they are due for release from | Forces Tribunal (Principal | |
| direct recruitment. | the Armed Forces and thereafter they may be continued on re- | Bench) or Registrar of any | |
| | employment. | Regional Bench to be | |
| | Note :1. Period of deputation including period of deputation in another | nominated by the Chairperson | |
| | ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same | Armed Forces Tribunal — | |
| | or some other organisation or Department of the Central Government | Member | |
| | shall ordinarily not to exceed three years. | (iii) Under Secretary, | |
| | Note : 2. The maximum age limit for appointment by deputation or | Ministry of Defence — | |
| | absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the | Member | |
| | receipt of applications. | (iv) The Scheduled Castes or | |
| | Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, | the Scheduled Tribes officer | |
| | the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st | from another Government | |
| | January,2006 or the date from which the revised pay structure based on | Department or Office — | |
| | the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, | Member | |
| | shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or | 1 | |
| | pay scale extended based on the recommendations of the Commission, | 1 | |
| | except where there has been merger of more than one pre-revised scale of | 1 | |
| | pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this | 1 | |
| | benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay | 1 | |
| | scale is the normal replacement grade without any upgradation. | <u> </u> | |

[F. No. PC-2 to M.F. 4(01)/2010-D(AFTC.)] SAMEER KUMAR KHARE, Jt. Secy.